संख्या- 15/2025/577/58-2025-1832148

प्रेषक,

विनय कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4406-02-112-04-उद्यान की योजना के पूंजीगत पक्ष में व्यवस्थित धनराशि रू0-1242.33 लाख के सापेक्ष जनपद अयोध्या में स्थित राजकीय उद्यानों में ढॉचागत सुविधाओं के विकास/जीर्णोद्धार हेतु लागत धनराशि रू0-292.30 लाख एवं धनराशि रू0 842.26 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-1134.56 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-143/बजट/2024-25 दिनांकः 10.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4406-02-112-04-उद्यान की योजना के पूंजीगत पक्ष में व्यवस्थित धनराशि रू0-1242.33 लाख के सापेक्ष जनपद अयोध्या में स्थित राजकीय उद्यानों में ढॉचागत सुविधाओं के विकास/जीर्णोद्धार हेतु लागत धनराशि रू0-292.30 लाख एवं धनराशि रू0 842.26 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-1134.56 लाख को अधोलिखित तालिका के कार्यों की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	प्राथमिक आगणन की धनराशि
1	राजकीय उद्यान गुप्तार पार्क, अयोध्या	842.26
2	राजकीय उद्यान राजघाट, अयोध्या	49.47
3	राजकीय उद्यान राजद्वार, अयोध्या	23.02
4	राजकीय तुलसी उद्यान, अयोध्या	33.91
5	राजकीय अतिथिगृह का विस्तारीकरण	120.09

6	पुराने राजकीय अतिथिगृह का जीर्णोद्धार कार्य	65.81
	योग-	**1134.56**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों/गाईडलाईन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

(4) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसके लिए विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तरदायी होंगे।

(5) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(6) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) विभागाध्य्क्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(8) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय क्योंकि धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,34,56,000 (रुपये ग्यारह करोड़ चौंतीस लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 4406021120400 उद्यान **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 15/2025/577(1)/58-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (द्वारा निदेशक)
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shasana